



प्रेस विज्ञप्ति  
11.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने जेकेएसएसबी एसआई पेपर लीक मामले में 10.07.2024 को अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। उन्हें 11.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है।

ईडी ने आरोपी दलालों यतिन यादव, अनिल कुमार और डॉ. करनैल सिंह (कमांडेंट, मेडिकल ऑफिसर, बीएसएफ), सीआरपीएफ कांस्टेबल और जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई, जम्मू द्वारा दायर एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की। मामले के तथ्य अनिल कुमार और अन्य सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा मौद्रिक लाभ के बदले जम्मू-कश्मीर पुलिस के 1200 उप-निरीक्षकों की भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा आयोजित दिनांक 27.03.2022 की परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी अनिल कुमार उम्मीदवारों से एकत्र किए गए धन के रूप में अपराध की आय के प्रमुख आयोजक और लाभार्थियों में से एक है। उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक के मौद्रिक भुगतान के बदले लीक हुए पेपर तक पहुंचने के इच्छुक उम्मीदवारों की व्यवस्था करने की साजिश रची। परीक्षा के बाद, भुगतान मुख्य रूप से नकद और बैंक खाते के माध्यम से उम्मीदवारों से आरोपी व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया।

ईडी की जांच के दौरान, संदिग्ध बैंक खातों की जांच से पता चला कि लेनदेन की शृंखला का उपयोग अनिल कुमार से संबंधित बैंक खातों में नकद जमा और अन्य धनराशि भेजने के लिए किया गया था। धनराशि को एक स्वामित्व फर्म, मेसर्स न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉर्पोरेशन में भी भेजा गया था और छोटी मात्रा के लेनदेन के माध्यम से मिटा दिया गया।

इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले ईडी ने पेपर लीक मामले के मुख्य सरगना यतिन यादव को गिरफ्तार किया था जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद है। इसके अलावा, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों से संबंधित बैंक में जमा राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्तियां कुर्क की थीं।

आगे की जांच जारी है।